SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to revisit the policy of prohibition of vehicles older than ten years

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, सामान्य आय वर्ग का व्यक्ति जीवन में बड़े प्रयासों से बैंक से ऋण लेकर एक बार बड़े शौक से निजी वाहन खरीदता है, जिससे वह अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है। वह वर्षों तक अपने खर्चों में कटौती करके उसकी ईएमआई भरता है। उसके बाद, दस वर्षों के बाद अच्छी-भली गाड़ियाँ निष्प्रयोज्य घोषित कर दी जाती हैं। सामान्य परिवार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह पुनः गाड़ी खरीद सके। ऐसे परिवार सारी जमा पूँजी लगाकर ही अपने जीवन का यह शौक पूरा करते हैं। प्रायः देखा गया है कि इन लोगों को कहीं न कहीं सेवारत होने के कारण सप्ताह में केवल एक या दो बार अपनी गाड़ियों में न तो किसी प्रकार की तकनी की खराद होने के कारण सप्ताह में केवल एक या दो बार अपनी गाड़ी निकालने और परिवार के साथ चलने का अवसर मिलता है। यद्यपि इन गाड़ियों में न तो किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आती है, न ही ये किसी प्रकार से निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने योग्य होती हैं, इन गाड़ियों में किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं रहती, परन्तु दस वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें दिल्ली जैसे महानगर में चलाना अपराध बन जाता है और इस तरह से बड़े पैमाने पर इन गाड़ियों को कबाड़ घोषित कर दिया जाता है। इससे व्यक्तिगत क्षति तो होती ही है, राष्ट्रीय क्षति भी होती है।

महोदय, इन गाड़ियों के पर्यावरण और प्रदूषण की समय-समय पर जाँच अनिवार्य कर दी जाये और उसके मानक निर्धारित कर दिये जायें तथा जो गाड़ियाँ सारे मानक पूरा करती हैं, उन गाड़ियों को चलने योग्य रहने तक निष्प्रयोज्य घोषित न किया जाये।

श्री सभापति : दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति आपको मालूम है।

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री हरद्वार दुबे (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

SHRIMATI ROOPA GANGULY (Nominated): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.